/

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 7914 प्र.अ./मॉनि/लोस्वायांवि/09 भोपाल, दिनांक 4/9/09

परिपत्र

विषय :– हैण्ड पंप प्लेटफार्म एवं अन्य कार्यों में कांक्रीटिंग कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण एवं मापपुस्तिका में प्रमाणीकरण।

विभिन्न खण्डों द्वारा आमंत्रित निविदाओं में नलकूप खनन एवं हैण्डपम्प स्थापना के साथ एवं पृथक से भी निर्माण कराये जाने वाले प्लेटफार्म की गुणवत्ता के संबंध में विशेष शर्त नहीं रखी जाती, जिसके कारण प्लेटफार्म की गुणवत्ता पर ठेकेदारों द्वारा व विभाग द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता एवं वे शीघ्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं अतः आवश्यक है कि प्लेटफार्म निर्माण के समय कांक्रीटिंग की गुणवत्ता पर समुचित ध्यान दिया जाए।

आई.एस. 456/2000 में कांक्रीटिंग कार्य की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु क्यूब टैस्ट का प्रावधान है, उक्त कोड की कंडिका 15.2 के अनुसार 1 से 5 क्यूबिक मीटर कांक्रीटिंग कार्य के किये एक सैम्पल अर्थात् 3 स्पैसिमैन का परीक्षण करने का प्रावधान है। तद्नुसार, प्रत्येक प्लेटफार्म के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक सैम्पल (3 क्यूब) का परीक्षण अनिवार्यतः किया जाना चाहिये एवं 28 दिन के उपरांत इन सैम्पल की कॉम्प्रेसिव स्ट्रैन्थ यदि निर्धारित स्ट्रैन्थ से कम पाई जाती है अथवा उनकी स्ट्रैन्थ में औसत स्ट्रैन्थ के 15 प्रतिशत से अधिक का अंतर पाया जाता है तो ऐसी कांक्रीटिंग / प्लेटफार्म निर्माण कार्य को असंतोष जनक मानते हुये उसे निरस्त किया जाना चाहिये एवं ठेकेदार की लागत पर पुनः निर्मित कराया जाना चाहिये, साथ ही विभागीय उत्तरदायित्व भी निर्धारित कर कार्यवाही की जाना चाहिये।

निर्माण कार्य के प्रभारी उपयंत्री द्वारा यह प्रमाण पत्र मापपुस्तिका में दर्ज किया जाए, कि कांक्रीटिंग की गुणवत्ता का परीक्षण आई.एस.–456/2000 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है एवं परीक्षण परिणाम संतोषजनक पाये गये हैं, इसके उपरांत ही प्लेटफार्म निर्माण कार्य का भुगतान किया जाना चाहिये। कार्यपालन यंत्री एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारी भी प्लेटफार्म गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।

इन निर्देशों का पालन उन सभी अन्य विभागीय कार्यों के लिये भी किया जाए, जहाँ कांक्रीटिंग कार्य कराया जाता है।

4/9/09
(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 7914/प्र.अ./मॉनि./लोस्वायांवि./09 भोपाल, दिनांक 4/9/09

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र भोपाल/ इंदौर/ ग्वालियर/ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि विभागीय रूप से निर्मित कराये जाने वाले प्लेटफार्म में भी उपरोक्तानुसार कांक्रीटिंग की गुणवत्ता परीक्षण एवं माप पुस्तिका में प्रमाणीकरण सुनिश्चित करें।
4. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल ....की ओर पालनार्थ अग्रेषित।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड............................ की ओर पालनार्थ अग्रेषित।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन, भोपाल